7

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अ धि सू च ना

7.12.16

पटना दिनांक-

सं० एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131ग एवं 131घ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ग के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्टक एवं शब्द "₹15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र" को अंक, कोष्टक एवं शब्द "₹50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र" द्वारा तथा नियम-131घ के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्ठक एवं शब्द "प्रत्येक अवसर पर ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र से अधिक तथा ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये) मात्र तक" को अंक, कोष्टक एवं शब्द "प्रत्येक अवसर पर ₹50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र से अधिक तथा ₹5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) मात्र तक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० पटना, दिनांक..7.12.16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० पटना, दिनांक..7.12.16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० पटना, दिनांक..7.12.16

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

Gautam\Sec 4\S.No-34-12-2015 Part

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–1/विविध–31/2015–1728(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 22/12/2016

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, 5वीं मंजिल बिस्कोमान भवन, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार एवं सभी सम्बद्धों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 22.12.16

सरकार के उप सचिव।

D/sec-1-letter-4

Govt. of Bihar

Finance Department

Notification

Patna, dated...............

No.-M-4-12/2015(Part)......................./F. In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial Rules, 1950 Rule 131C and 131D (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement-

   (1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule, 2016.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. The figures, brackets and words "₹15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) only" used in Rule 131C of Bihar Financial Rule, 1950 shall be substituted by the figures, brackets and word "₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only." and "₹15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) only and upto "₹2,00,000/- (Rupees Two Lakh) only on each occasion" used in Rule 131D shall be substituted by the figures, brackets and word "₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only and upto "₹5,00,000/- (Rupees Five Lakh) only on each occasion"

By order of the Governor of Bihar,

(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part)......7331......**/F.** **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-Accountant General, Bihar, Virchand Patel Path, patna-800001 for informantion and necessary action.

Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part)......7331......**/F.** **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-All Department/All Head of Department/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Treasury officer for information and necessary action.

Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part)......7331......**/F.** **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-e-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna for informantion and necessary action.

Secretary (Expenditure)

Government of Bihar
Department of Health

Memo No.-1/Vividh-31/2015- 1728(1) / Patna, dated- 22 / 12 /2016

Copy to:- Executive Director, State Health Society, Sheikhpura, Patna/ Managing Director, Bihar Health Services & Infrastructure Corporation Ltd., 5th Floor, Biscouman Bhawan, Gandhi Maidan, Patna for information and necessary action.

Copy to:- Principal/Superintendent, All Govt. Medical College & Hospital, Bihar/ All Civil Surgeon, Bihar and all concerns for information and necessary action.

Sd/- 9.12.16

Deputy Secretary to the Govt.

D/sec-1-letter-4